समाहरणालय, बक्सर
(नजारत शाखा)
तृतीय अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

इस कार्यालय के पत्रांक 08–0967/नजा0, दिनांक 26.11.2019 तथा पत्रांक 081018/नजा0 दिनांक 11.12.19 के द्वारा आमंत्रित अल्पकालीन निविदा सफल नहीं होने के कारण समाहरणालय, बक्सर में उपयोग हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आवंटन के आलोक में (प्रतिष्ठित कम्पनी यथा – Mahindra Powerol, Eicher, Kirloskar, Jackson) द्वारा निर्मित 125 K.V.A. का ध्वनि रहित जेनरेटर (Silent D.G. Set) क्रय हेतु अधिकृत डीलर / आपूर्त्तिकर्त्ता से तकनीकी एवं वित्तीय अल्पकालीन संशोधित निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफा में जिला नजारत शाखा, बक्सर में आमंत्रित की जाती है। उक्त कम्पनी के इच्छुक डीलर / आपूर्त्तिकर्त्ता दिनांक 27.01.2020 को 01.00 बजे अपराह्न तक जिला नजारत शाखा, बक्सर में निम्नलिखित शर्त्तों के साथ निविदा जमा कर सकते हैं। उक्त निविदा उसी दिन दिनांक 27.01.2020 को अपराह्न 03:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा में अधिकृत व्यक्ति / एजेन्सी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति भाग ले सकते हैं। साथ ही उक्त क्षमता के अतिरिक्त निम्नलिखित क्षमता के ध्वनि रहित Silent D.G. Set का दर निर्धारण हेतु भी तकनीकी निविदा के साथ आमंत्रित वित्तीय निविदा में दर अंकित करना अनिवार्य होगा।

सामग्री	क्षमता	कम्पनी का नाम
Silent Diesel GENSET (Liquid / cooled)	125 K.V.A. - 100 KW / 82 K.V.A / 62 K.V.A / 50 K.V.A / 30 K.V.A / 20 K.V.A / 10 K.V.A / 05 K.V.A Three Phase / Single Phase DG SET With all standard accessories & Installation – Earthing (4 Pcs), Wire (as required), Foundation, ETC	(प्रतिष्ठित कम्पनी यथा – Mahindra Powerol, Eicher, Kirloskar, Jackson)

निविदा की शर्तें निम्न प्रकार है :–

01. निविदादाता को आपूर्ति किये जाने वाले सामानों के फर्म का अधिकृत डीलर / आपूर्त्तिकर्त्ता होना चाहिए।
02. निविदादाता को GST एवं आयकरदाता के रूप में निबंधित होना चाहिए एवं निविदा के साथ अद्यतन GST रिटर्न एवं अद्यतन आयकर रिटर्न तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
03. मुहरबंद निविदा द्विप्रणाली अन्तर्गत देनी होगी अर्थात तकनीकी / वित्तीय अलग–अलग लिफाफा में मुहरबंद कर देना होगा। वित्तीय निविदा में मात्र दर प्रतिवेदित किया जायेगा एवं तकनीकी निविदा में मात्र तकनीकी के साथ – साथ तकनीकी प्रविष्टियाँ एवं अन्य प्रमाण पत्र संलग्न किया जायेगा। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता का हीं वित्तीय निविदा खोला जायेगा।
04. निविदादाता के द्वारा तकनीकी निविदा के साथ कम्पनी का अधिकृत डीलर / आपूर्त्तिकर्त्ता से संबंधित वांछित कागजात संलग्न करना अनिवार्य होगा।

05. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने तथा किसी प्रकार का मामला न्यायालय में विचाराधीन नहीं होने का नोटरी से निर्गत शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।

06. निविदा के साथ सुरक्षित जमानत के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत 25,000.00 (पच्चीस हजार) रू0 मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो जिला पदाधिकारी, बक्सर के पदनाम से भुगतेय हो, निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

07. वित्तीय निविदा में अंकित दर सभी कर सहित अंकित करना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकृति के पश्चात् सामग्री का अलग से किसी भी प्रकार का कर भुगतेय नहीं होगा। वित्तीय निविदा में संबंधित क्षमता का डी0जी0 सेट का प्रति घंटा, प्रति लीटर ईंधन खपत अंकित करना अनिवार्य होगा। विपत्र से वांछित कर (GST/ IT) की कटौति कार्यालय द्वारा की जाएगी।

08. फर्म द्वारा सामानों पर दी गई न्यूनतम गारंटी / वारंटी अवधि वहीं अंकित होनी चाहिए जो कम्पनी द्वारा प्रदान की गई है।

09. कम्पनी चयन का अधिकार अधोहस्ताक्षरी / जिला क्रय समिति को सुरक्षित होगा। निविदादाता द्वारा वित्तीय निविदा में कम्पनीवार, क्षमतावार एवं फेजवार अलग – अलग दर अंकित करना अनिवार्य होगा।

10. संबंधित कम्पनी का सर्विस सेन्टर बक्सर जिला के 75 कि0मी0 की परिधि में बिहार राज्य में होना अनिवार्य होगा। इस आशय का लिखित आवेदन स्वहस्तलिखित तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

11. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी / जिला क्रय समिति को पूर्णतः सुरक्षित है। वारन्टी / गारन्टी अवधि में डी0जी0 सेट में खराबी आने पर बिना विलम्ब किये सही करना अनिवार्य होगा अन्यथा स्थिति में उक्त क्षमता का नया दूसरा डी0जी0 सेट सफल निविदादाता द्वारा आपूर्त्ति करना अनिवार्य होगा।

12. निविदा स्वीकृत होने के 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर जेनसेट आपूर्त्ति कर अधिष्ठापित करना अनिवार्य होगा। अधिष्ठापन के क्रम में फाउण्डेशन, केबल वायर एवं चेंजओवर इत्यादि स्वीकृत निविदादाता द्वारा अधिष्ठापित कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा। आपूर्त्तिकर्त्ता को जेनसेट अधिष्ठापन स्वयं कराना होगा। अधिष्ठापन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्णतः संतुष्ट होने के पश्चात भुगतान किया जायेगा। गारंटी / वारंटी अवधि में तकनीकी खराबी की जिम्मेवारी आपूर्त्तिकर्त्ता की होगी। जिसका अनुपालन आपत्ति के 24 घंटे के अन्दर करना अनिवार्य होगा।

विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाईट **www.buxar.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है।

11/01/20

जिला पदाधिकारी,
बक्सर